स्पीड पोस्ट/ ई–मेल

पत्र संख्याः 1/प्रो0(च0अ0)–1001/2012–सा0प्र0–17477/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांकः 24 दिसम्बर, 2019

विषयः– चल एवं अचल सम्पति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों तथा राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सभी उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी प्राप्त कर उन्हें सार्वजनिक किया जाना है।

2. गत वर्ष में चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित करने हेतु लागू विहित प्रपत्र में ही चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित किया जाना है। यह प्रपत्र सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट www.gad.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

3. अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संबंधित आचार नियमावली के तहत दी जाने वाली संपत्ति विवरणियों के अतिरिक्त यह संपत्ति विवरणी देय होगी।

4. भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी विहित प्रपत्र में संपत्ति विवरणी 15 फरवरी, 2020 तक अपने पदस्थापन से संबंधित विभागों/कार्यालयों को समर्पित करने के उपरान्त उसकी एक प्रति क्रमशः सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

5. राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सभी उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) में कार्यरत कर्मी अपनी सम्पत्ति विवरणी विहित प्रपत्र में 15 फरवरी, 2020 तक अपने–अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

6. सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से प्राप्त चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी को 31 मार्च, 2020 तक विभागीय बेवसाइटों के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा।

7. सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव अपने विभाग के नियंत्रणाधीन सभी लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के प्रधानों एवं सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देशित कर दें कि उनके द्वारा माह फरवरी, 2020 के वेतन की निकासी करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित कर्मी द्वारा चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में समर्पित कर दिया गया है। इसके पश्चात् ही संबंधित कर्मी के वेतन की निकासी की जाय।

1823 | Prachshn-E:\HAIDER JEE\Letter Hindi

अपर सचिव भ०नि०वि० कोषांग
गै०सं०बो०सं० 40
प्राप्ति 06/01/2020
प्रेषित

8. सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि जिलों में अवस्थित सभी विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों एवं राज्य सरकार के सभी लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के स्थानीय प्रधानों को भी उपर्युक्त कंडिका–6 के अनुरूप कार्रवाई हेतु सूचित कर दें।

9. सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी इस निर्देश से अवगत कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
24.12.19
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1/प्रो0(च0अ0)–1001/2012–सा0प्र0–17477/पटना–15, दिनांकः 24 दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपिः– केन्द्रीय/अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर बिहार संवर्ग के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी/राज्य में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी/केन्द्रीय सिविल सेवा के सभी पदाधिकारी/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी लोक उपक्रम (बोर्ड, निगम, सोसाइटी पर्षद इत्यादि) के प्रधान/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.12.19
सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक–भवन/स्था0–01–विविध–1065/2013 867(अ)/पटना, दिनांक– 27.1.2020

प्रतिलिपिः–भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेंजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/2020

(चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

23.1.20

1824 Prachesh\HAIDER JEE\Letter Hindi

d:/ramesh/new application/Ass.Appli.-2019/Pankaj Sir new Draft-2